FAX: (91) 542-2368487
Website: www.bhu.ac.in
Ph. No. 0542 – 2368487, 230-7251, 6701762

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा जारी अधिसूचना सं0 225, सन् 1916 द्वारा स्थापित)

सम्पदा कार्यालय

निविदा की नियम एवं शर्तें

1. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मीरजापुर में नव निर्मित कैण्टीन को प्रथम तीन वर्षो (जो कि लाईसेन्स प्रदत्त व्यक्ति/संस्था के कार्य की गुणवत्ता इत्यादि को देखकर बढ़ायी भी जा सकती है) चलाने हेतु मुहर बन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती है जो कि सम्पदा कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (मुख्य परिसर) में दिनांक 10.09.2009 तक सांय 4:00 बजे तक जमा की जायेगी।
2. उपरोक्त कैण्टीन राजीव गांधी दक्षिणी परिसर के छात्रों, अध्यापकों एवं कर्मचारियों के लिए विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में स्थित कैण्टीनों के अनुरूप पर जलपान एवं भोजन की व्यवस्था (कैण्टीन में बेचे जाने वाली सामाग्रियों की सूची निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है) निर्धारित दरों पर कराने के लिए खोली जा रही है। उक्त कैण्टीन सभी कार्यदिवसो में प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुली रहेगीं।
3. निविदा प्रपत्र सम्पदा कार्यालय में दिनांक 09.09.2009 तक प्रातः 11:00 बजे से सांय 3:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में रू0 250/— के नकद भुगतान पर (रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़कर) प्राप्त किया जा सकता है।
4. प्रत्येक निविदा के साथ रू0 10,000/— का (रू0 दस हजार मात्र) डिमांड ड्राफ्ट धरोहर राशि के रूप में कुलसचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के नाम पर संलग्न करना अनिवार्य है। चेक अथवा नकद भुगतान स्वीकार नहीं किये जायेगें। उक्त धरोहर राशि को सफल व्यक्ति/संस्था के निविदा राशि में समायोजित कर लिया जायेगा एवं अन्य को धरोहर राशि लौटा दी जायेगी।
5. अधितकम निविदा राशि अंकित करने वाले व्यक्ति/संस्था की निविदा को सफल निविदा माना जायेगा तथा उनके द्वारा अंकित राशि को उक्त कैण्टीन हेतु प्रतिमाह की लाईसेन्स फीस माना जायेगी।
6. सफल व्यक्ति/संस्था का चयन सुनिश्चित हो जाने के पश्चात उनके द्वारा प्रस्तावित निविदा राशि की कुल धनराशि निविदा खुलने के 7 दिनों के अन्दर जमा कर देना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ कैण्टीन चलाने हेतु धरोहर राशि भी जमा करनी होगी जो कि लाईसेन्स फीस के तीन गुने के बराबर होगी। किसी भी अवस्था में धरोहर राशि वापसी के समय किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जायेगा। निविदा में लगायी गयी कुल धनराशि तथा धरोहर राशि को जमा करने पर ही सफल व्यक्ति/संस्था को उपरोक्त कैण्टीन चलाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि चयनित व्यक्ति/संस्था उपरोक्त कैण्टीन चलाने के इच्छुक नहीं है एवं उनके द्वारा जमा

की गयी रू0 10,000/— की धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा, साथ ही साथ अगली अधिकतम राशि अंकित करने वाली निविदा पर विचार किया जायेगा।

7. विश्वविद्यालय किसी एक अथवा सभी निविदाओं को बिना किसी पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार रखता है।

8. निविदा में प्रस्तावित राशि सुपाठ्य एवं साफ सुथरी होनी चाहिए। निविदा राशि शब्दो एवं अंको दोनो में होनी चाहिए। निविदा राशि में की गयी किसी भी प्रकार का संशोधन (Overwriting) निविदा को निरस्त करने के लिए पर्याप्त है। यदि शब्दो एवं अंको में दर्शायी गयी राशि में किसी प्रकार का अन्तर होता है तो दोनो में से जो अधिक राशि होगी वही मान्य होगा। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

9. दो या अधिक व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा अंकित की गई निविदा राशि समान पाये जाने पर, कैण्टीन संचालन हेतु व्यक्ति/संस्था के चयन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास होगा जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

10. अहस्ताक्षरित निविदा को अयोग्य घोषित करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा।

11. सफल व्यक्ति/संस्था जिनको कि उक्त कैण्टीन चलाने हेतु लाईसेन्स प्रदत्त किया जायेगा, उनकी कैण्टीन की स्वच्छता, कैण्टीन में बिक्री की जाने वाली सामाग्रियों की गुणवत्ता इत्यादि बनाये रखने की भी जिम्मेदारी होगी, जिसकी जाँच समय समय पर विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत व्यक्तियों से कराई जायेगी तथा किसी भी तरह की लापरवाही लाईसेन्स निरस्त करने का पर्याप्त कारण बन सकती है।

12. इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं को यह सुझाव दिया जाता है कि वे निविदा राशि अंकित करने से पूर्व राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा मीरजापुर में निर्मित कैण्टीन भवन का अवलोकन करने के पश्चात् इस सुविधा के लाभार्थी छात्रो, अध्यापको एवं कर्मचारियों की संख्या, कैण्टीन भवन का क्षेत्रफल तथा विक्रय की जाने वस्तुओं का आकलन करके निविदा राशि अंकित करें, क्योंकि बाद में इन्हें आधार बनाकर निविदा दर में किसी प्रकार की शिथिलता का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा। कैण्टीन भवन की स्थिति के अवलोकन हेतु सहायक कुलसचिव, राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मीरजापुर से संपर्क किया जा सकता है।

13. इच्छुक व्यक्ति/संस्था अपने निविदा के साथ कैण्टीन/मेस चलाने का कार्य अनुभव का ब्योरा (यदि कोई हो तो) संलग्न करें। कार्य अुनभव वाले व्यक्तियों/संस्थाओं को उक्त कैण्टीन के लाईसेन्स निर्गत करने में वरीयता प्रदत्त की जायेगी।

14. उक्त कैण्टीन हेतु गैस, चूल्हा, बर्तन, साज सज्जा इत्यादि की स्तरीय व्यवस्था लाईसेन्स प्रदत्त व्यक्ति/संस्था को ही अपने व्यय पर करनी होगी। कैण्टीन हेतु जल एवं विद्युत बिल का भुगतान बिल के आधार पर अगल से देय होगा।

15. उक्त कैण्टीन हेतु फर्नीचर, वाटर कूलर एवं वाटर प्यूरीफायर की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा करायी जायेगी, जिसके रखरखाव इत्यादि का व्यय कैण्टीन संचालक द्वारा वहन किया जायेगा।

16. उक्त कैण्टीन में नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों द्वारा ग्राहको से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा होगी तथा उन्हें साफ सुथरे वर्दी में होना अनिवार्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी लाईसेन्स प्रदत्त व्यक्ति/संस्था की होगी।

17. निविदा में सफल व्यक्ति/संस्था को लाईसेन्स जारी करने से पहले उनका पुलिस/विश्वविद्यालय के मुख्य आरक्षाधिकारी द्वारा उनके चाल चलन इत्यादि का सत्यापन कराया जायेगा तथा चाल चलन अच्छा पाये जाने के पश्चात् ही लाईसेन्स जारी किया जायेगा।

18. नामित व्यक्ति/संस्था द्वारा नियुक्त कैण्टीन में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों का फोटोयुक्त आवासीय विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना होगा जिससे उनके चाल चलन इत्यादि का सत्यापन आवश्यकतानुसार कराया जा सके।

19. चयनित व्यक्ति/संस्था के द्वारा नियुक्त कैण्टीन में कार्यरत सभी कर्मचारियों को किसी भी संक्रामक बीमारी से ग्रसित होने पर विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि उन्हें तत्काल प्रभाव से कैण्टीन की सेवा से वंचित करने का निर्णय ले सके तथा चयनित व्यक्ति/संस्था को उन्हें तुरन्त सेवा से वंचित करना होगा।

20. चयनित व्यक्ति/संस्था किसी भी रूप में बाल श्रमिक को कैण्टीन संचालन हेतु नहीं रखेगी।

21. यदि उपरोक्त कैण्टीन संचालन हेतु जिला प्रशासन से किसी भी प्रकार की आवश्यकता बनती है तो उसको प्राप्त करने की जिम्मेदारी चयनित व्यक्ति/संस्था की होगी।

22. प्रत्येक तीन वर्षो पर विश्वविद्यालय निर्धारित लाईसेन्स फीस की समीक्षा करेगी और यदि उचित समझा जायेगा तो उसमें आवश्यक बढ़ोत्तरी भी करेगी, जो की लाईसेन्स प्रदत्त व्यक्ति को मान्य होगा।

23. निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी रखने हेतु यदि विश्वविद्यालय के संज्ञान में आता है कि किसी व्यक्ति/संस्था की निविदा भ्रामक है जो कि एक सुयोग्य निविदा को इस निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित होने में बाधा पहुचाँ रही है तो उस निविदा को निरस्त करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय बाध्यकारी एवं सर्वमान्य होगा।

24. विश्वविद्यालय एवं उसके किसी कर्मचारी के द्वारा इस निविदा प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के हित में लिये गये निर्णय के विरूद्व किसी भी प्रकार का वाद अथवा अन्य विधिक प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

कुलसचिव
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय